



सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12/OG-GO/

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub:- Forwarding of Grant of DR at 139% w e f 01.01.2012 to Bihar pensioners

Ref:- 1. Bihar Govt. Resolutions No 3A-3-DR-01/2012-6570/V
dt 21.06.2012.

2. AG (A&E)-II Bihar, No Pen IX-Spl Seal Authority No 730 dt 10.08.12.

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E)II, Bihar, Patna in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
Pension Payment Office,
Jambagh, M J Road
Nampally,
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, BIHAR, PATNA

No. Pen-IX-Spl. seal Authority No.- 730

Dated- 10/08/2012

To,

The Accountant General (A&E)

Andhra Pradesh, Saifabad,
Hyderabad - 500463

Sub:- Grant of Deaneess relief to the State Government Pensioners,

Bihar Govt. Resolution No. 38-3-401-01/2012/6570/वि०,

Date 21.06.2012

Sir,

I am to forward herewith Hindi/English versions of copies of Govt. of Bihar, Finance Deptt. Resolution No. 6570 Dated 21.06.12 for your needful action.

You are requested to circulate this order to all Treasuries/Sub-Treasuries and Public Sector Banks in your Jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same with enclosure.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Encl : Copies of Bihar Govt.
Resolution No.-
Dated :

Memo No. Pen-IX-Spl.-Bihar - 731 Date- 10/08/2012

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Joint Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna.
2. General Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vindya Vasini Sadan, North Sri Krishna Puri, Patna-800 013.
3. Accounts Officer I.T.A./ Pension-1

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक - 21.06.2012

विषय:- अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2012 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-10803 दिनांक 29.11.2011 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक 01.07.2011 के प्रभाव से 127 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय झापांक-1(3)/2008-EII(B) दिनांक-20.04.2011 द्वारा अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01.01.2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक- 01.01.12 से 127 प्रतिशत से बढ़ाकर 139 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के रूप में स्वीकृत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2012 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया है -

(क) दिनांक 01.01.06 के पूर्व दिनांक 01.01.96 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको दिनांक 01.01.05 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.01.2012 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 127 प्रतिशत से बढ़ाकर 139 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है ।

(ख) मंहगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(ग) मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मूल वेतन/पेंशन एवं मंहगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नहीं होगा ।

(घ) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से उपर की राशि पूर्ण रुपये में पूर्णिकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

4. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

5. पेंशन भोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 344(1) के अंतर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है । साथ ही, कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अरुण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग

-2-

झापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2012 - 6570/वि० पटना, दिनांक :- 21.06.2012

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित ।

अरुण कुमार सिंह
21/06/12

(अरुण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग